बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980

(1980 का अधिनियम संख्यांक 58)

[12 दिसंबर, 1980]

जनसाधारण के हित में, बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अर्थात्, रसायनों (उर्वरकों को छोड़कर), ओषधियों, भेषजों और अन्य उत्पादों के, जो जनसाधारण की जरूरतों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं, उत्पादन और वितरण में लगी हुई थी ;

और केंद्रीय सरकार ने, कंपनी के कार्यकलाप का अन्वेषण करने के पश्चात् यह राय होने पर कि कंपनी के कार्यकलाप का प्रबंध ऐसी रीति से किया जा रहा है जो लोक हित के लिए अत्यधिक अहितकर है, व्यक्तियों के एक निकाय को कंपनी का प्रबंध ग्रहण करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन प्राधिकृत किया था ;

और कंपनी के स्वामित्व वाले उपक्रमों के इस दृष्टि से पुनर्गठन और पुनरुद्धार के प्रयोजन के लिए, कि उक्त कंपनी द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के रसायनों (उर्वरकों को छोड़कर) ओषधियों, भेषजों और अन्य उत्पादों के, जो जनसाधारण की जरूरतों के लिए आवश्यक हैं, उत्पादन और वितरण की वृद्धि द्वारा जनसाधारण का हितसाधन हो और उसका निरंतर प्रदाय सुनिश्चित हो, यह आवश्यक है कि कंपनी के उपक्रमों का अर्जन कर लिया जाए ;

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है ;

(ख) "आयुक्त" से धारा 16 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ग) "कंपनी" से बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, 6, गणेशचंद्र एवेन्यू, कलकत्ता-700013 में है ;

(घ) "विद्यमान सरकारी कंपनी" से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है जो नियत दिन को कारबार चला रही है ;

(ङ) "नई सरकारी कंपनी" से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है जो नियत दिन को या उसके पश्चात् बनाई और रजिस्ट्रीकृत की गई है ;

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) "विनिर्दिष्ट तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ;

(झ) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

कंपनी के उपक्रमों का अर्जन और अंतरण

3. कंपनी के उपक्रमों का केंद्रीय सरकार को अंतरण और उसमें निहित होना—नियत दिन को कंपनी के उपक्रम और उपक्रमों के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक और हित इस अधिनियम के आधार पर केंद्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) कंपनी के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अंतर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी स्थावर तथा जंगम संपत्तियां, जिनके अतंर्गत भूमि, भवन, कार्यालय, कारखाने, कर्मशालाएं, स्टोर, उपकरण, संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर, प्रतिष्ठापन, प्रयोगशालाएं, कार्यालय-फर्नीचर, लेखन सामग्री और उपस्कर, यान, पेटेंट, व्यापार चिह्न, रोकड़ बाकी, हाथ की रोकड़, आरक्षित निधियां, विनिधान, बही-ऋण और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कंपनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में, चाहे भारत में या भारत के बाहर थे और तत्संबंधी सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर और अन्य सभी दस्तावेजें हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार की हैं ।

(2) यथापूर्वोक्त सभी संपत्तियां और आस्तियां, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसे निहित होने के बल पर, किसी भी न्यास, बाध्यता, बंधक, भार, धारणाधिकार और उन्हें प्रभावित करने वाले अन्य सभी विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी और किसी न्यायालय, या अन्य प्राधिकारी की किसी कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश की बाबत, जो ऐसी संपत्तियों या आस्तियों के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बंधित करता है या जो ऐसी समस्त संपत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग की बाबत कोई रिसीवर नियुक्त करता है, यह समझा जाएगा कि वह वापस ले लिया गया है ।

(3) किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गई है, प्रत्येक बंधकदार और किसी ऐसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का बंधकदार या ऐसी किसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकमों में से और धारा 9 के अधीन अवधारित रकमों में से भी, बंधक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णत: या भागत: संदाय के लिए, अपने अधिकारों और हितों के अनुसार, दावा करने का हकदार होगा किंतु ऐसा कोई बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केंद्रीय सरकार में निहित हो गई है ।

(5) यदि किसी उपक्रम के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गया है, कंपनी को नियत दिन से पूर्व किसी समय अनुदत्त और नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत, ऐसे उपक्रम के संबंध में और उसके प्रयोजनों के लिए ऐसी तारीख को और उसके पश्चात् अपने प्रकट शब्दानुसार प्रवृत्त बनी रहेगी और ऐसे उपक्रमों की धारा 6 के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में या धारा 7 के अधीन किसी नई सरकारी कंपनी में निहित होने की तारीख से ही, यथास्थिति, विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में उसी प्रकार प्रतिस्थापित हो गई है मानो ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत ऐसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को अनुदत्त की गई थी और ऐसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी उसे उस शेष अवधि के लिए धारण करेगी जिसके लिए कंपनी उसके निबंधनों के अनुसार उसे धारण करती ।

(6) यदि नियत दिन को, किसी संपत्ति या आस्ति के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गई है, कंपनी द्वारा संस्थित या उसके विरुद्ध लाया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, लंबित है तो कंपनी के उपक्रमों के अंतरण या इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के कारण, उसका उपशमन नहीं होगा, वह बंद नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किंतु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, या धारा 7 के उपबंधों के आधार पर किसी नई सरकारी कंपनी को अंतरित हो जाते हैं वहां उस सरकारी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी और प्रवर्तित की जा सकेगी ।

5. कुछ पूर्व दायित्वों के लिए केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी का दायी न होना—(1) 1 अप्रैल, 1979 के पूर्व पूर्व की किसी अवधि के संबंध में कंपनी का प्रत्येक दायित्व, कंपनी का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा और केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं या धारा 7 के उपबंधों के आधार पर किसी नई सरकारी कंपनी को अंतरित हो जाते हैं, वहां ऐसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(2) 1 अप्रैल, 1979 को या उसके पश्चात् कंपनी द्वारा उपगत या उसके विरुद्ध उप्तन्न हुआ कोई दायित्व, जिसके अंतर्गत उस तारीख को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी को दिए गए किन्हीं उधारों के प्रतिदाय का दायित्व भी है, उस पर शोध्य ब्याज सहित,—

(क) जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं वहां, उस विद्यमान सरकारी कंपनी का ; या

(ख) जहां कंपनी के उपक्रम धारा 7 के उपबंधों के आधार पर किसी नई सरकारी कंपनी को अंतरित हो जाते हैं वहां, उस नई सरकारी कंपनी का,

दायित्व हो जाएगा और उसका उन्मोचन ऐसी सरकारी कंपनी वैसे और तब करेगी जैसे और जब ऐसे दायित्व का उन्मोचन शोध्य हो जाए ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, 1 अप्रैल, 1979 के पूर्व की किसी अवधि की बाबत कंपनी का अपने उपक्रमों के संबंध में कोई दायित्व, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं, या धारा 7 के उपबंधों के आधार पर किसी नई सरकारी कंपनी को अंतरित हो गए हैं वहां सरकारी कंपनी के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) कंपनी के उपक्रमों के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश, जो 1 अप्रैल, 1979 के पूर्व उत्पन्न हुए किसी ऐसे मामले, दावे या विवाद के बारे में नियत दिन को या उसके पश्चात् पारित किया गया है, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं, या धारा 7 के उपबंधों के आधार पर किसी नई सरकारी कंपनी को अंतरित हो गए हैं वहां ऐसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के, 1 अप्रैल, 1979 के पूर्व, किए गए उल्लंघन के लिए उपगत कंपनी का कोई दायित्व, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं, या धारा 7 के उपबंधों के आधार पर किसी नई सरकारी कंपनी को अंतरित हो गए हैं वहां ऐसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

6. कंपनी के उपक्रमों के किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित होने का निदेश देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति—(1) धारा 3 और धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी और धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कोई विद्यमान सरकारी कंपनी ऐसे निबन्धनों और शर्तों का, जिन्हें अधिरोपित करना वह सरकार ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है या उसने उनका अनुपालन कर लिया है तो वह अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि कंपनी के उपक्रम और कंपनी के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, केंद्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय, या तो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या ऐसी किसी पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती तारीख को (जो नियत दिन से पहले की तारीख न हो), जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उस विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां कंपनी के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित उपधारा (1) के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित हो जाते हैं वहां वह सरकारी कंपनी ऐसे निहित होने की तारीख से ही, और धारा 7 के उपबंधों के आधार पर उपक्रमों का किसी नई सरकारी कंपनी को अंतरण होने तक, ऐसे उपक्रमों के संबंध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के संबंध में केंद्रीय सरकार के समस्त अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, और ऐसे अंतरण की तारीख तक, उस विद्यमान सरकारी कंपनी के क्रमश: अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

7. कंपनी के उपक्रमों का, किसी विद्यमान सरकारी कंपनी से किसी नई सरकारी कंपनी को अंतरण—(1) धारा 3 और 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं वहां, यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कोई नई सरकारी कंपनी ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जिन्हें अधिरोपित करना वह सरकार ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है या उसने उनका अनुपालन कर लिया है तो, वह अधिसूचना द्वारा घोषण कर सकेगी कि कंपनी के उपक्रम उस नई सरकारी कंपनी को अंतरित कर दिए जाएं और ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर, उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं, कंपनी के अधिकार, हक और हित उस विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित रहने के बजाय, ऐसी घोषणा के किए जाने की तारीख से, उस नई सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां कंपनी के उपक्रमों के संबंध में विद्यमान सरकारी कंपनी के अधिकार, हक और हित, उपधारा (1) के अधीन किसी नई सरकारी कंपनी में निहित हो जाते हैं वहां वइ नई सरकारी कंपनी, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, ऐसे उपक्रमों के संबंध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के संबंध में उस विद्यमान सरकारी कंपनी के सभी अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, उस नई सरकारी कंपनी के क्रमश: अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

अध्याय 3

रकमों का संदाय

8. रकम का संदाय—केंद्रीय सरकार, कंपनी के उपक्रमों का और कंपनी के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित का धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार को अंतरण करने और उन्हें उसमें निहित करने के लिए कंपनी को पांच करोड़ दो लाख चार हजार रुपए की रकम नकद और अध्याय छह में विनिर्दिष्ट रीति से देगी ।

9. अतिरिक्त रकम का संदाय—(1) केंद्रीय सरकार, कंपनी को उसके उपक्रमों के प्रबंध से उसे वंचित किए जाने के लिए दो हजार रुपए प्रतिमास की दर से संगणित रकम, उस तारीख से प्रारंभ होकर, जिसको कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किया गया था, नियत दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, देगी ।

(2) धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकम और उपधारा (1) के अधीन अवधारित रकम पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, नियत दिन से प्रारंभ होकर उस तारीख को, जिसको ऐसी रकम का संदाय केंद्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए, दिया जाएगा ।

(3) केंद्रीय सरकार उपधारा (1) और (2) के उपबंधों के अनुसार अवधारित रकमें कंपनी को उस रकम के अतिरिक्त देगी जो धारा 8 में विनिर्दिष्ट है ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कंपनी के उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, उसके दायित्वों का उन्मोचन कंपनी के लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार, धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकम में से और उपधारा (1) और (2) के अधीन अवधारित रकमों में से भी किया जाएगा ।

अध्याय 4

कंपनी के उपक्रमों का प्रबन्ध, आदि

10. कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध, आदि—(1) कंपनी के उन उपक्रमों के, जिनके संबंध में अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबन्ध,—

(क) जहां केंद्रीय सरकार ने धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया है, वहां ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, उस निदेश में विनिर्दिष्ट सरकारी कंपनी में निहित होगा ; या

(ख) जहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा की गई है वहां ऐसी घोषणा में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, उस घोषणा में विनिर्दिष्ट नई सरकारी कंपनी में निहित होगा ; या

(ग) जहां खंड (क) में निर्दिष्ट कोई निदेश नहीं दिया गया है या खंड (ख) के अधीन कोई घोषणा नहीं की गई है, वहां केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन नियुक्त एक या अधिक अभिरक्षकों में निहित होगा,

और तब, यथास्थिति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट विद्यमान या नई सरकारी कंपनी या इस प्रकार नियुक्त एक या अधिक अभिरक्षक सभी अन्य व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य करने के हकदार होंगे जिन शक्तियों का प्रयोग और जिन कार्यों को अपने उपक्रमों के संबंध में करने के लिए कंपनी प्राधिकृत है ।

(2) केंद्रीय सरकार कंपनी के उन उपक्रमों का जिनके संबंध में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन उसने कोई निदेश नहीं किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा नहीं की है एक या अधिक व्यष्टियों को या किसी सरकारी कंपनी को, अभिरक्षक या अभिरक्षकों के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(3) इस प्रकार नियुक्त एक या अधिक अभिरक्षक कंपनी के उपक्रमों की निधियों में से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो केंद्रीय सरकार नियत करे और केंद्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे ।

11. कंपनी के उपक्रमों के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियां, आदि परिदत्त करने का कर्तव्य—(1) कंपनी के उपक्रमों का प्रबन्ध सरकारी कंपनी में निहित हो जाने पर या किसी अभिरक्षक या अभिरक्षकों की नियुक्ति हो जाने पर, ऐसे निहित होने या नियुक्ति से ठीक पूर्व कंपनी के उपक्रमों के प्रबन्ध के भारसाधक सभी व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसी सरकारी कंपनी या अभिरक्षक या अभिरक्षकों को ऐसी कंपनी के उपक्रमों से संबंधित सभी आस्तियां, लेखा बहियां, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजें जो उनकी अभिरक्षा में हों परिदत्त करने के लिए बाध्य होंगे ।

(2) केंद्रीय सरकार, विद्यमान या नई सरकारी कंपनी या अभिरक्षक या अभिरक्षकों को, उनकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे और ऐसी सरकारी कंपनी या अभिरक्षक भी, यदि वे ऐसा करना आवश्यक समझे तो, केंद्रीय सरकार को किसी भी समय उस रीति के बारे में, जिसमें कंपनी के उपक्रमों का प्रबन्ध संचालित किया जाएगा, या ऐसे किसी अन्य विषय के बारे में, जो ऐसे प्रबंध के दौरान उत्पन्न हो, अनुदेश देने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में नियत दिन को कंपनी के ऐसे उपक्रमों से संबंधित, जो केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, कोई बहियां, दस्तावेजें या अन्य कागजपत्र हैं, जो कंपनी के हैं या जो उस दशा में उसके होते यदि कंपनी के उपक्रम केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित न हुए होते, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार को या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को उक्त बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागजपत्रों का लेखा-जोखा देने के लिए दायी होगा और वह उन्हें केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय को, जिसे केंद्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कंपनी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा ।

(4) केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी ऐसे सभी उपक्रमों का, जो इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार अथवा विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गई है, कब्जा प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकेगी या उठवा सकेगी ।

(5) कंपनी, ऐसी अवधि के भीतर, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे, उस सरकार को उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, और नियत दिन को यथाविद्यमान अपनी समस्त संपत्तियों और आस्तियों की एक पूर्ण सूची देगी और इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी, कंपनी को सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगी ।

12. कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला लेखा—(1) जहां किसी न्यायालय की किसी डिक्री, आदेश या व्यादेश के अनुसरण में या अन्यथा,—

(क) प्राधिकृत व्यक्तियों को, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन कंपनी के उपक्रमों के प्रबंध-ग्रहण की तारीख के पश्चात् और नियत दिन के पूर्व कंपनी के उपक्रमों के किसी भाग का प्रबंध-ग्रहण करने से निवारित किया गया था ; या

(ख) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को, नियत दिन को या उसके पश्चात्, कंपनी के उपक्रमों के किसी भाग का प्रबंध-ग्रहण करने से निवारित कर दिया जाता है,

वहां वह कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके कब्जे या अभिरक्षा या नियंत्रण में ऐसा कोई भाग है, ऐसे ग्रहण किए जाने की तारीख को आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको ऐसा भाग प्राधिकृत व्यक्तियों को या, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को सौंपा गया था या सौंपा गया है, समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में, नियत दिन से साठ दिन की अवधि के भीतर या, जहां ऐसा भाग नियत दिन के पश्चात् सौंपा गया था वहां, ऐसे सौंपे जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर,—

(i) उक्त अवधि के दौरान अर्जित, उपयोग में लाए गए या विक्रीत उपक्रमों की या उनके किसी भाग की आस्तियां और स्टोर ; और

(ii) उक्त अवधि के दौरान उपक्रमों या उनके किसी भाग से कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति को व्युत्पन्न आय,

की बाबत लेखा, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार को या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को देगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखाओं की जांच की जाने पर, किसी आय या अन्य धन के बारे में यह पाया जाता है कि वह उस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे उपक्रमों या उनके किसी भाग से, कंपनी या किसी व्यक्ति को व्युत्पन्न हुआ है या किसी अन्य धन के बारे में यह पाया जाता है कि वह कंपनी को देय है तो ऐसी आय या अन्य धन केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी द्वारा, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या ऐसे अन्य व्यक्ति से और उस रकम में से, जो इस अधिनियम के अधीन कंपनी को देय है, वसूलीय होगा और इस लेखे केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को शोध्य ऋण अप्रतिभूत ऋण होगा ।

(3) यदि उपक्रमों या उनके किसी भाग की बाबत कंपनी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अंदर कोई लेखा नहीं दिया जाता है या, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि कंपनी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया लेखा किसी तात्त्विक विशिष्टि में गलत या मिथ्या है तो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी मामला आयुक्त को निर्देशित कर सकेगी और तब आयुक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे उपक्रमों या उनके किसी भाग से उस कंपनी या ऐसे अन्य व्यक्ति को व्युत्पन्न हुई आय अवधारित करेगा और उक्त आय या अन्य धन कंपनी या ऐसे अन्य व्यक्ति से, और इस अधिनियम के अधीन कंपनी को संदेय रकम में से, वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा मानो इस लेखे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को शोध्य ऋण अप्रतिभूत ऋण हो ।

(4) कंपनी के उपक्रमों या उनके किसी भाग के संबंध में कोई बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य विल्लंगम, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी पर आबद्धकर नहीं होगा यदि ऐसा बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य विल्लंगम उस अवधि के दौरान किसी भी समय सर्जित किया गया था जब किसी न्यायालय की किसी डिक्री, आदेश या व्यादेश द्वारा या अन्यथा ऐसे उपक्रमों या उनके किसी भाग का प्रबंध-ग्रहण करने से, प्राधिकृत व्यक्ति निवारित थे और, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी निवारित है ।

13. लेखा और लेखापरीक्षा—कंपनी के उपक्रमों के एक या अधिक अभिरक्षक कंपनी के उपक्रमों का लेखा ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अनुसार रखेंगे जो विहित की जाएं और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंध ऐसे रखे गए लेखा की लेखापरीक्षा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी कंपनी के लेखा की लेखापरीक्षा को लागू होते हैं ।

अध्याय 5

कंपनी के कर्मचारियों के बारे में उपबंध

14. कुछ कर्मचारियों के नियोजन का जारी रहना—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कंपनी के उपक्रमों में से किसी उपक्रम में नियोजित रहा है,—

(क) नियत दिन से ही, केंद्रीय सरकार का कर्मचारी हो जाएगा ; और

(ख) जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, या जहां उन्हें धारा 7 के उपबंधों के आधार पर किसी नई सरकारी कंपनी को अंतरित किया गया है वहां, ऐसे निहित होने या अंतरण की तारीख से ही, ऐसी सरकारी कंपनी का कर्मचारी हो जाएगा,

और पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के अधीन वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा जो उसे उस स्थिति में अनुज्ञेय होते यदि ऐसा निधान या अंतरण न हुआ होता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप में समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर देती है ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी के उपक्रमों में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को अंतरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण ग्रहण नहीं करेगा ।

15. भविष्य निधि तथा अन्य निधियां—(1) जहां कंपनी ने कंपनी के उपक्रमों में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कोई भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि या कल्याण निधि या अन्य निधि स्थापित की है वहां ऐसे कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएं, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अंतरित हो गई हैं, संबंधित धनराशियां, ऐसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि में, नियत दिन को जमा धनराशियों में से, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) उन धनराशियों के संबंध में जो उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को अंतरित हो जाती हैं उस सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो विहित की जाए ।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

16. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—(1) केंद्रीय सरकार, धारा 8 और धारा 9 के अधीन संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे, और तब आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक को भी इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो आयुक्त द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उनका वही प्रभाव होगा मानो वे उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्षत: प्रदान की गई हैं, प्राधिकार के रूप में नहीं ।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।

17. केंद्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) केंद्रीय सरकार, कंपनी को संदाय करने के लिए आयुक्त को, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अंदर, उतनी रकम नकद देगी जो—

(क) धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकम के बराबर है, और

(ख) धारा 9 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के बराबर है ।

(2) केंद्रीय सरकार भारत के लोक खाते में आयुक्त के नाम एक निक्षेप खाता खोलेगी और आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त प्रत्येक रकम, उक्त निक्षेप खाते में जमा करेगा और उक्त निक्षेप खाते को चलाएगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकमों पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज उक्त खाते के फायदे के लिए काम आएगा ।

18. केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी की कुछ शक्तियां—(1) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी, नियत दिन के पश्चात् वसूल किया गया ऐसा कोई धन, जो कंपनी को, उसके उन उपक्रमों के संबंध में शोध्य है जो केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके, विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त करने की हकदार, इस बात के होते हुए भी होगी कि ऐसी वसूली नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि से संबंधित है ।

(2) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कम्पनी आयुक्त को ऐसे प्रत्येक संदाय के संबंध में दावा कर सकेगी जो 1 अप्रैल, 1979 के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में कंपनी के किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी ने नियत दिन के पश्चात् किया है और ऐसे प्रत्येक दावे को उन पूर्विकताओं के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को, जिसके संबंध में ऐसे दायित्व का उन्मोचन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी ने किया है, इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है ।

(3) इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, 1 अप्रैल, 1979 के पूर्व के किसी संव्यवहार के संबंध में कंपनी के ऐसे दायित्व, जिनका विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व उन्मोचन नहीं किया गया है, कंपनी के दायित्व होंगे ।

19. आयुक्त के समक्ष दावों का किया जाना—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कंपनी के विरुद्ध कोई दावा है, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अंदर आयुक्त के समक्ष करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि दोवदार पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के अंदर दावा करने से निवारित रहा था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के अंदर दावा ग्रहण कर सकेगा किंतु उसके पश्चात् नहीं ।

20. दावों की पूर्विकता—अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों से उद्भूत होने वाले दावों को निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग I को अन्य सभी प्रवर्गों पर अग्रता दी जाएगी और प्रवर्ग II को प्रवर्ग III पर अग्रता दी जाएगी, और इसी प्रकार आगे भी ;

(ख) प्रत्येक प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावे समान पंक्ति के होंगे और उनका पूर्णत: संदाय किया जाएगा किन्तु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णत: चुकाने के लिए अपर्याप्त है तो वे आनुपातिक रूप में कम कर दिए जाएंगे और उनका तद्नुसार संदाय किया जाएगा ;

(ग) किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट विषय की बाबत किसी दायित्व के उन्मोचन का प्रश्न केवल तब उठेगा जब उसके ठीक उच्चतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट सभी दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अधिशेष रह जाए ।

21. दावों की परीक्षा—(1) आयुक्त, धारा 19 के अधीन किए गए दावों की प्राप्ति पर, उन्हें अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अनुसार क्रमबद्ध करेगा और ऐसे पूर्विकता क्रम से उनकी परीक्षा करेगा ।

(2) यदि दावों की परीक्षा करने पर आयुक्त की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त रकम किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे निम्नतर प्रवर्ग की बाबत किसी दावे की परीक्षा करे ।

22. दावों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना—(1) अनुसूची में उपवर्णित पूर्विकताओं के प्रति निर्देश से दावों की परीक्षा करने के पश्चात् आयुक्त कोई तारीख नियत करेगा जिसको या जिससे पूर्व प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत फाइल करेगा जिसके न हो सकने पर उसे आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरण के फायदे से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(2) इस प्रकार नियत तारीख के बारे में कम से कम चौदह दिन की सूचना, अंग्रेजी भाषा के किसी दैनिक समाचारपत्र के ऐसे एक अंक में और ऐसी प्रादेशिक भाषा के किसी दैनिक समाचारपत्र के ऐसे एक अंक में, जो आयुक्त उपयुक्त समझे, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी, और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने दावे का सबूत विनिर्दिष्ट समय के अंदर आयुक्त के समक्ष फाइल करे ।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अंदर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरणों से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) आयुक्त, ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात्, जो उसकी राय में आवश्यक है, और कंपनी को दावे का खंडन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा दावे को पूर्णत: या भागत: स्वीकार या अस्वीकार करेगा ।

(5) आयुक्त को, अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले सभी मामलों में, जिनके अंतर्गत वह या वे स्थान भी हैं जहां वह अपनी बैठकें करेगा, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक पदार्थ का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(7) कोई दावेदार, जो आयुक्त के विनिश्चय से असंतुष्ट है, उस विनिश्चय के विरुद्ध अपील, आरंभिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय में कर सकता है, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परन्तु जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, आयुक्त नियुक्त किया जाता है वहां अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय को होगी और वह अपील उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनी और निपटाई जाएगी ।

23. आयुक्त द्वारा दावेदारों को रकम का संवितरण—इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात् ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम आयुक्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा जिसे या जिन्हें ऐसी रकम शोध्य है और ऐसा संदाय कर दिए जाने पर ऐसे दावे की बाबत कंपनी के दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा ।

24. कंपनी को रकमों का संवितरण और कुछ मशीनरी, उपस्कर, आदि पर कब्जा—(1) यदि कंपनी के उपक्रमों के संबंध में आयुक्त को संदत्त धन में से, अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अनुसार दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है तो आयुक्त ऐसे अतिशेष का संवितरण कंपनी को करेगा ।

(2) जहां कोई मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति, इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गई है किंतु ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति उस कंपनी की नहीं है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी मशीनरी, उपस्कर और अन्य संपत्ति पर कब्जा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर बनाए रखे जिनके अधीन वे नियत दिन से ठीक पूर्व कंपनी के कब्जे में थीं ।

25. असंवितरित या दावा न की गई रकम का साधारण राजस्व खाते में निक्षिप्त किया जाना—यदि आयुक्त को संदत्त कोई धन, जो उस तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को, जिसको आयुक्त का पद अंतिम रूप से परिसमाप्त किया जाता है, असंवितरित रहता है या जिसके बारे में उस तारीख को कोई दावा नहीं किया गया है, तो वह आयुक्त द्वारा केंद्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते को अंतरित किया जाएगा किंतु इस प्रकार अंतरित किसी धन के लिए कोई दावा ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केंद्रीय सरकार को किया जा सकता है और उस संबंध में कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा अंतरण नहीं किया गया था और दावे के संदाय के लिए किया गया आदेश, यदि कोई हो, राजस्व के प्रतिदाय के लिए किया गया आदेश माना जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

26. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

27. केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के अनुसमर्थन के अभाव में संविदाओं का प्रभावहीन हो जाना—कंपनी द्वारा अपने उपक्रमों के संबंध के किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए की गई और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संविदा, नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगी, जब तक कि ऐसी संविदा का उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी, लिखित रूप में, अनुसमर्थन नहीं कर देती है और, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में, उसमें ऐसे परिवर्तन या उपांतरण कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परन्तु, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप या उसमें कोई परिवर्तन या उपांतरण तब तक नहीं करेगी जब तक कि—

(क) उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी संविदा असम्यक् रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कंपनी के लिए अहितकर है ; और

(ख) वह ऐसी संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे देती है और संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार करने या उसमें कोई परिवर्तन या उपांतर करने के अपने कारण अभिलिखित नहीं कर देती है ।

28. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति,—

(क) कंपनी के किसी उपक्रमों की भागरूप किसी संपत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी से या उस सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय से सदोष विधारित करेगा, या

(ख) कंपनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसको प्रतिधारित करेगा या ऐसे उपक्रमों से संबंधित किसी दस्तावेज को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, जानबूझकर केंद्रीय सरकार या, यथास्थिति, विद्यमान या नई सरकारी कंपनी से या उस सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय से विधारित करेगा या उसको उन्हें देने में असफल रहेगा अथवा कंपनी के उपक्रम से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखा बहियों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केंद्रीय सरकार या, यथास्थिति, विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को या उस सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय को देने में असफल रहेगा, या

(ग) कंपनी के उपक्रमों की भागरूप किसी संपत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास ऐसा विश्वास करने का उचित कारण है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

29. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकरी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

30. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्व की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार के या उस सरकार के किसी अधिकारी के या उस कंपनी या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के उपक्रमों के अभिरक्षक के या उस सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

31. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग, जो इस धारा या धारा 32 या धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) जब कभी शक्ति का कोई प्रत्यायोजन उपधारा (1) के अधीन किया जाता है तो वह व्यक्ति जिसको ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, केंद्रीय सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

32. नियम बनाने की शक्ति—(1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय, जिसके अंदर और वह रीति जिसे धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई सूचना दी जाएगी ;

(ख) वह प्ररूप और रीति जिसमें तथा वे शर्तें जिनके अधीन, अभिरक्षक धारा 13 द्वारा अपेक्षित रूप में लेखा बनाए रखेगा;

(ग) वह रीति जिससे धारा 15 में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि में जमा धन की बाबत कार्रवाई की जाएगी ;

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

33. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

अनुसूची

(धाराएं 5, 20, 21, 22 और 24 देखिए)

कंपनी के दायित्वों के उन्मोचन के लिए पूर्विकताओं का क्रम

भाग क—प्रबंध-ग्रहण के पूर्व और पश्चात् की अवधियां

प्रवर्ग I

कंपनी के कर्मचारियों की, प्रबंध-ग्रहण के पश्चात् की अवधि के लिए मजदूरी, वेतन और अन्य शोध्य रकमें तथा कर्मचारियों की, प्रबंध-ग्रहण के पूर्व की अवधि के लिए मजदूरी, वेतन, भविष्य निधि और अन्य शोध्य रकमों की बकाया ।

भाग ख—प्रबंध-ग्रहण के पश्चात् की अवधि

प्रवर्ग II

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए उधार और उन पर शोध्य ब्याज ।

(ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए उधार जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत हों और उन पर शोध्य ब्याज ।

प्रवर्ग III

(क) व्यापार या विनिर्माण संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए लिया गया कोई ऋण ।

(ख) कोई अन्य शोध्य रकमें ।

भाग ग—प्रबंध-ग्रहण के पूर्व की अवधि

प्रवर्ग IV

(क) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को शोध्य राजस्व, कर, उपकर, रेट या अन्य शोध्य रकमें ।

(ख) विक्रय कर, रेट और कर, कर्मचारी राज्य बीमा निधि को किए जाने वाले अभिदाय और कर्मचारियों को देय अतिरिक्त महंगाई भत्ता ।

प्रवर्ग V

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रतिभूत उधारों की मूल रकम और 15 दिसम्बर, 1977 तक, जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है उस पर शोध्य ब्याज, अर्थात्, उस तारीख तक का ब्याज जिसको उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन राजपत्र में अधिसूचित आदेश प्रकाशित किया गया था ।

प्रवर्ग VI

किसी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य विद्युत बोर्ड को संदेय राजस्व, कर, उपकर, रेट या कोई अन्य शोध्य रकमें ।

प्रवर्ग VII

16 दिसम्बर, 1977 के पश्चात् प्रवर्ग V में निर्दिष्ट प्रतिभूत उधारों पर ब्याज के रूप में शोध्य रकमें ।

प्रवर्ग VIII

(क) व्यापर या विनिर्माण संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए लिया गया कोई ऋण ।

(ख) कोई अन्य शोध्य रकमें ।

———